बिन्दु सं0–1

संगठन की विशिष्टियॉ, कार्य एवं कर्तब्यः–

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजातियों के अर्न्तगत प्रदेश में कुल पांच जातियों थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी एवं राजी को सूचीबद्ध किया गया था, किन्तु पृथक उत्तरांचल राज्य के सृजन के पश्चात केवल दो अनुसूचित जनजातियॉ थारू एवं बुक्सा ही उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रदेश में निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। जिनके सर्वेक्षण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है :–

क0सं0 जाति	जनपद जिनमें निवासरत हैं
1–गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज गोंड	महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र
2–खरवार/खैरवार	देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, एंव सोनभद्र
3–सहरिया	ललितपुर
4–परहिया	सोनभद्र
5–बैगा	सोनभद्र
6–पंखा, पनिका	सोनभद्र, मिर्जापुर
7–अगरिया	सोनभद्र
8–पठारी	सोनभद्र
9–चेरो	सोनभद्र, वाराणसी
10–भुइया, भुनिया	सोनभद्र

वर्ष 1984–85 तक इन अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के विभिन्न कार्यक्रम/योजनाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता था, तत्पश्चात् जनजाति विकास निदेशालय द्वारा किया जा रहा है।

:: विभाग के मूलभूत उद्देश्य ::

जनजाति विकास निदेशालय की स्थापना निम्नलिखित मूलभूत उद्देश्यों को लेकर की गयी है :–

1– गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को व्यवसायिक जीवन पद्धति का आंकलन कर उनके लिए आर्थिक उन्नति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन।

2– अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार।

3– अनुसूचित जनजातियों हेतु मानव संसाधन विकास संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित कर रोजगार के अवसर सुलभ कराना।

4– अनुसूचित जनजातियों को समाज की मुख्य सामाजिक, आर्थिक धारा में समाहित करना तथा गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना।

5– अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक शोषण से सुरक्षा।

6– शिक्षा के स्तर पर सुधार एवं साक्षरता दर वृद्धि हेतु छात्रवृति राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय एवं छात्रावासों का संचालन, तकनीकी शिक्षा, कुशल कारीगरी, शिल्प उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों का समावेश तथा स्वतः रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु कार्यक्रमों का संचालन।